

## कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/मुवसंउ/राजस्व-1/97/9654

भोपाल, दिनांक 13-10-97

प्रति,

- 1/ समस्त वन संरक्षक
- 2/ समस्त वनमंडलाधिकारी,  
मध्यप्रदेश

विषय:- कूपों में एवं डिपों में हुए नाम के अंतर के संदर्भ में छूट दिये जान बाबत् ।

- संदर्भ:-
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एन0टी0टी/3738 दि. 5-4-76
  2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/राजस्व/10429, दिनांक 4-8-84
  3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ मुवसंउ/दोहन/8770, दिनांक 4-10-89
  4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/उ0/राजस्व/688 दिनांक 23-12-89

लट्ठों एवं बल्लियों के कूपों में लिये गये नाप और डिपों में लिये गये नाम में सूखत व अन्य अनेकों कारणों से अंतर आता है । कार्यालयीन पत्र क्रमांक-एन0टी0टी/3738 दिनांक 5-4-76 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि यह अंतर 2 से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए / बाद में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मुवसं/उ0/राजस्व/10429, दिनांक 4-8-84 द्वारा कूपों में नाम करते समय 2-3 सें.मी. की छूट देने के निर्देश दिये गये थे । तदुपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक मुवसं/दोहन/8770, दिनांक 4-10-88 द्वारा कूपों में नाप करते समय निम्नानुसार छूट दिये जाने के निर्देश दिये गये थे :-

क्र0	गोलाई सें.मी. में	एलाउंस सें.मी. में
1.	60 सें.मी. तक	1 से 2
2.	61 से 90 सें.मी.	1 से 2
3.	91 से 120 सें.मी.	2 से 3
4.	121 से 150 सें.मी.	2 से 3
5.	150 से ऊपर	3 से 4

पुनः इसके बाद पत्र क्रमांक/मुवसं/उ/राजस्व/1688, दिनांक 23.12.89 द्वारा पुनः कूपों में नाम करते समय 2 से 3 सें.मी. तक छूट दिये जाने के निर्देश दिये गये थे /

अनेकों ऐसे प्रकरण आडिट के दौरान सामने आये हैं कि जहाँ पर इस प्रकार के एलाउंस देने के बाद भी डिपों में पुनः नाम करते समय अंतर आया है । लोक लेखा समिति आश्र शासन द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है । इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा उपरांत यह निर्णय हुआ है कि कूपों में गोलाई की नाप करते समय सूखत व अन्य कारणों से अंतर के लिए निम्न एलाउंस दिये जाये :-

अ.क्र.	गोलाई सें.मी. में	एलाउंस सें.मी. में
1.	60 सें.मी. तक	1 से 2
2.	61 से 90 सें.मी.	2 से 3

- |    |                    |        |
|----|--------------------|--------|
| 3. | 91 से 120 सें.मी.  | 2 से 3 |
| 4. | 121 से 150 सें.मी. | 3 से 4 |
| 5. | 150 सें.मी. से ऊपर | 4 से 5 |

उपरोक्तानुसार एलाउंस दिये जाने के बाद कूप और डिपों में नाप में फिर अंतर नहीं आना चाहिए । यदि उसके बाद भी अंतर आता है तो यह माना जायेगा कि कूप में नाप लेते समय लापरवाही बरती गई है , व फलस्वरूप कटाई एवं संग्रहण पर जो अधिक व्यय हुआ है, वह कूप प्रभारी या संबंधित उत्तरदायी कर्मचारी से वसूल किया जायेगा । कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(अशोक मसीह)

मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक/राजस्व-1/9655

भोपाल, दिनांक 13/10/97

प्रतिलिपि:-

- 1/ प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वन विभाग भोपाल
- 2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल
- 3/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल
- 4/ समस्त मुख्य वन संरक्षक भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल